न्यायलय न्यायिक मजिस्ट्रेट कायमगंज फर्रूखाबाद

वाद सं०:-१२९९/१६

०२/११/१६

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली वास्ते आदेश नियत हैं। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलवी पर सुना गया ।

सक्षेप मे परिवादी द्वारा परिवाद पत्र मे कथन किया है कि परिवादी व उसके भाई का एक रिहायसी मकान मो० लाल बाग ग्राम हमीरपुर खास जिसके प्रार्थी व उसके भाई मालिक हैं। जो उसे विरासत मे प्राप्त हुआ उक्त मकान से सम्बन्धित एक मुकदमा वाद सं० ६३/१२ न्यायालय कायमगंज मे विचाराधीन हैं। प्रार्थी दिनांक ०७/०६/१६ को कायमगंज तहसील आया तो जानकारी हुई कि प्रार्थी व उसके भाईयो का रिहायसी मकान को शमशुददीन व सईद,शहीद,अहमद,शमशाद ने श्रीमती रूकसाना व श्रीमती शमा बेगम के पक्ष मे महताब अली के सहयोग से प्रार्थी व उसके भाईयो का उक्त मकान को झूठा प्रलोभन मे फंसा कर मिथ्या कूटरचित षणयन्त्र रचकर विक्रय विलेख दिनांक ०४/०६/१६ को पंजीयन करा लिया और प्रार्थी व उसके भाई के साथ दिनांक २५/०७/१६ को उक्त लोगो से प्रश्नगत बैनामा को निरस्त करने को कहां तो मना कर दिया और गाली गलौज कर धमकी दी। अतः अभियुक्तगण को तलब कर दण्डित करने की याचना की ।

परिवादी के वयान अर्न्तगत धारा २०० द०प्र०स० व साक्षीगण पी०डब्लू०१ नबाब शेर पी०डब्लू०२ आरिफ अली के वयान अर्न्तगत धारा२०२ द०प्र०स० लिखे गये ।

परिवादी ने अपने कथन में पुलिस अधीक्षक को दिये गये प्रार्थना पत्र की कार्बन प्रति व डाक रशीद,बैनामा की नकल एक किता प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान,एक किता मुकदमा दायरा वाद सं० ६३/१२ दाखिल की हैं।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

अवलोकन से स्पष्ट होता हैं कि परिवादी एवं विपक्षी सं० १लगायत४ के मध्य दीवानी वाद सं० ६३/१२ स्थाई व्यादेश का लम्वित हैं। जिसमे न्यायालय सिविल जज जू०डि० कायमगंज द्वारा ३०/०५/१३ को ६सी२ प्रार्थना पत्र पर सुनवाई गुण दोष पर करने के उपरान्त यह आदेश पारित किया गया दौरान मुकदमा पक्षगण विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाये रखेगें तथा उसकी नवैयत मे कोई परिवर्तन नही करेगे प्रश्नगत सम्पत्ति अन्दर आवादी की सम्पत्ति हैं परिवादी द्वारा अपने परिवाद के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जिससे बात की पूष्टि हो कि परिवादी प्रश्नगत सम्पत्ति का तनहा स्वामी हो। विपक्षीगण सं० १ लगायत ४ द्वारा दौरान लम्वन दीवानी वाद प्रश्नगत सम्पत्ति का विक्रय विपक्षी सं० ५ व ६ के पक्ष मे वर्ष २०१६ मे कर दिया हैं विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कोई कूटरचना नही किया गया हैं दौरान दीवानी वाद आदि कोई पक्षकार बैनामा कर देता हैं तो वादी को बैनामा निरस्तीकरण का वाद जारिये संशोधन वाद मे लाने का पूरा अधिकार हैं। परिवादी के धारा २००द०प्र०स० तहत किये गये परीक्षा से स्पष्ट होता हैं कि विपक्षीगण १ लगायत ४ तथा ७ व ८ द्वारा परिवादी के साथ गाली गलौज किया गया हैं। इस प्रकार परिवादी साक्षी द्वारा भी परिवादी के कथनो का समर्थन किया हैं।

उरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय के राय मे यह तथ्य स्पष्ट होता हैं। कि विपक्षीगण १ लगायत ४ तथा ७ व ८ द्वारा धारा ५०४ भा०द०स० के तहत प्रथम दृष्टया अपराध कारित किया गया हैं। अतः उपरोक्त विपक्षीगण को धारा ५०४ भा०द०स० के अन्तर्गत तल किये जाने का आधार पर्याप्त हैं। अन्य विपक्षीगण को अन्य धाराओ मे तलब किये जाने का आधार पर्याप्त नही हैं।

आदेश

अभियुक्त शमशुददीन,सईद,शहीद,शमशाद,अनबर अली,सिराज को धारा ५०४ भा०द स० के अर्न्तगत जरिये समन दिनांक १७/११/१६ के लिये तलब किया जाता हैं। परिवादी गवाहान लिस्ट दाखिल कर आवश्यक पैरवी अन्दर सात दिन में करे ।

जे० एम० कायमगंज